


विविध बैंक प्रकरण संख्या 20/2020(GCMS : 2020/00066) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा-बीरबल चौक, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स कुबेर ब्रदर्स - प्रो. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश तरड निवासी 3-एच-16, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर 2. आदित्य कुमार पुत्र भूप सिंह, मकान नं. 131, नजदीक नेतेवाला, 17 जीजी, श्रीगंगानगर 3. अमन दीप तरड पुत्र श्री ओम प्रकाश तरड, वार्ड न. 9, नजदीक ओ.बी.सी. बैंक, सादुलशहर, श्रीगंगानगर 4. ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपीराम नजदीक गुप्ता मेडिकल स्टोर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर (राज.)



01.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण मैसर्स कुबेर ब्रदर्स, आदित्य कुमार, अमनदीप तरड, ओमप्रकाश द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी आदित्य कुमार पुत्र श्री भूप सिंह की अचल सम्पत्ति 1. प्लॉट नं. 1, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2088.80 वर्गफुट) 2. प्लॉट नं. 5, किल्ला नं. 13,18, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2080 वर्गफुट) 3. प्लॉट नं. 10, किल्ला नं. 03, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2088.80 वर्गफुट) 4. प्लॉट नं. 16, किल्ला नं. 2,3,8,9 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट) 5. प्लॉट नं. 23, किल्ला नं. 18, 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2677.50 वर्गफुट) 6. प्लॉट नं. 24, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'8" + 60")/2 गुणा 60) 7. प्लॉट नं. 25, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली,

बिली मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **8. प्लॉट नं. 27**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **9. प्लॉट नं. 26**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **10. प्लॉट नं. 28**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **11. प्लॉट नं. 29**, किल्ला नं. 12, 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **12. प्लॉट नं. 62**, किल्ला नं. 20 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'7" गुणा 60') **13. प्लॉट नं. 99**, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'8" +38'9")/2 गुणा 60') द्वारा बंधक रखी गई संपत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.02.2020 को प्रस्तुत किया हुआ है और अब **चूंकि अप्रार्थी ऋणी की समस्त संपत्ति का बैंक द्वारा वर्तमान में भौतिक कब्जा लेकर बेचान किया जा चुका है इसलिए वे इस प्रकरण को आगे कार्यवाही नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करता है, और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 10.02.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बीरबल चौक, श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण मैसर्स कुबेर ब्रदर्स, आदित्य कुमार, अमनदीप तरङ्ग,

**जिला नजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर**

ओमप्रकाश के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी आदित्य कुमार पुत्र श्री भूप सिंह द्वारा बंधक रखा गई सम्पत्ति **1. प्लॉट नं. 1**, किल्ला नं. 18, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2088.80 वर्गफुट) **2. प्लॉट नं. 5**, किल्ला नं. 13,18, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2080 वर्गफुट) **3. प्लॉट नं. 10**, किल्ला नं. 03, मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2088.80 वर्गफुट) **4. प्लॉट नं. 16**, किल्ला नं. 2,3,8,9 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 3600 वर्गफुट) **5. प्लॉट नं. 23**, किल्ला नं. 18, 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 2677.50 वर्गफुट) **6. प्लॉट नं. 24**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल $38'8'' + 38'10''$)/2 गुणा 60) **7. प्लॉट नं. 25**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **8. प्लॉट नं. 27**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **9. प्लॉट नं. 26**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **10. प्लॉट नं. 28**, किल्ला नं. 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **11. प्लॉट नं. 29**, किल्ला नं. 12, 19 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 वर्गफुट) **12. प्लॉट नं. 62**, किल्ला नं. 20 मुरब्बा नं. 68, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी

कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'7" गुणा 60') 13. प्लॉट नं. 99, किल्ला नं. 16, मुरब्बा नं. 69, चक 2 एमएल, नाथावाली, सीजीआर सिटी कॉलोनी, श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 38'8" +38'9")/2 गुणा 60') का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है और प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाही नहीं चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया है, जो शामिल पत्रावली है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 10.02.2020 को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर